भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 106
दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मृत्यु

†106. एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्री वी. के. श्रीकंदनः
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की मृत्यु हो चुकी है;
(ख) यदि हां, तो प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने पीड़ित के परिवार को कोई मुआवजा प्रदान किया है;
(घ) क्या इस विरोध प्रदर्शन में आतंकवादी संगठनों की घुसपैठ के संबंध में सरकार के पास कोई प्रमाण है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपराधों की जांच, पंजीकरण/अभियोजन, अभियुक्तों की दोषसिद्धि तथा जान और माल आदि की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों की गतिविधियों पर सतत् नजर रखती है। जब भी आवश्यक होता है, कानून के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

*****